नक्शा ऑल लाईन को पूर्व लट्ठा नक्शा के दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। वही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सरासर गलत एवं मिथ्या पर आधारित होना अपनी बहस में जाहिर कर प्रा0 पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहु पक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 राजस्व नक्शा ट्रेस नया व पुराना, तहसीलदार बस्सी द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मानगढ खोखावाला प0ह0 मानसर खेडी भू0अ0नि0 क्षेत्र तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा नम्बर 213/298 रकबा 1.2139 है0, ख.न. 213 रकबा 0.2655 है0 पाया जाता है। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि पुराने लट्ठा नक्शा व वर्तमान ऑन लाईन नक्शा में अन्तर होना साबित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार कर आराजी ग्राम मानगढ खोखावाला प0ह0 मानसर खेडी भू0अ0नि0 क्षेत्र तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा नम्बर 213/298 रकबा 1.2139 है0, ख.न. 213 रकबा 0.2655 है0 का नक्शा दुरुस्ती स्वीकार कर तहसीलदार बस्सी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 213/298/1 का रकबा 1.1127 है0 किस्म चाही (0.6575 है0), बारानी–1 (0.3166 है0), बंजड़–1 (0.1391 है0) व खसरा नम्बर 213/298 का रकबा 0.1012 है0 किस्म बंजड़–1 (0.1012 है0) का नक्शा दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

([illegible] प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर